

जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़

अति अल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 02/2015-16

1. विज्ञापन दाता का नाम : जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक 06.06.2015(3:00बजे अपराह्न तक)
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 08.06.2015(3:00बजे अपराह्न तक)
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 08.06.2015(3:30बजे अपराह्न)
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : जिला परिषद कार्यालय, रामगढ़।
6. निविदा प्राप्त करने/खोलने का स्थान : सदर थाना, रामगढ़।
7. योजना शीर्ष : 13 वें वित्त आयोग निधि।
8. कार्य की विस्तृत विवरणी :-

क्र०सूच सं०	योजना का नाम	प्रकार	प्रकल्पित राशि (रुपये में)	अवयव की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र की राशि (रुपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यदिश की तिथि से)
01	अधम प्रजापति के घर से लेकर बिनोद प्रजापति के घर तक खसकता हेतु नाली निर्माण। 500 फिट	पतराजू	305400.00	6100.00	750.00	01 माह
02	बिकोर पंचायत के लादी गाँव में परमेश्वर राम के घर से जयप्रकाश करमाली के घर की ओर नाली निर्माण। 500 फीट	पतराजू	305400.00	6100.00	750.00	01 माह
03	युज्जू पंचायत पंचायत के युज्जू बस्ती में कुलेश्वर मेहता के घर के पास पेयजल हेतु बापाकल निर्माण।	माण्डू	214800.00	4300.00	500.00	01 माह
	ग्राम पंचायत बुनरी के मुन्हानोड़ा के लालजी मांझी के घर के सामने पेयजल हेतु बापाकल का निर्माण।					
	ग्राम मंडला मुन्हा के टिकु सिंह के जमीन में पेयजल हेतु बापाकल निर्माण।					
04	करमटोला प्रधान मठो के घर के सामने पेयजल हेतु बापाकल निर्माण (ग्राम तालाटंड)	पतराजू	286400.00	5800.00	750.00	01 माह
	बैजनाथ महतो ड्रिलिंग पतरा में पेयजल हेतु बापाकल निर्माण (ग्राम तालाटंड)					
	तिरल बहा में बैजनाथ महतो के घर के सामने पेयजल हेतु बापाकल निर्माण (ग्राम तालाटंड)					
04	सालगो राजेश महतो के घर के सामने पेयजल हेतु बापाकल निर्माण (ग्राम बीवा)	रामगढ़	214800.00	4300.00	500.00	01 माह
	रामगढ़ प्रखण्ड के मरार पंचायत के झोपटपट्टी में (कालीघरण) के घर के सामने पेयजल हेतु बापाकल निर्माण।					
	रामगढ़ प्रखण्ड के मरार पंचायत के मिखा टोला में राजेन्द्र मिखा के घर के सामने पेयजल हेतु बापाकल निर्माण।					
06	रामगढ़ प्रखण्ड पंचायत में कल्याण लुक्क टोपी के घर के सामने पेयजल हेतु बापाकल निर्माण।	माण्डू	220000.00	4400.00	500.00	01 माह
07	कंदला दक्षिणी पंचायत के परसावेड़ा में महावीर मांझी के खेत में पेयजल के लिए कुआ का निर्माण।	माण्डू	1100000.00	22000.00	2500.00	01 माह
	रतवे पंचायत के ग्राम रतवे में श्री महेन्द्र महतो के घर के पास कुआ निर्माण।					
	रतवे पंचायत के ग्राम रतवे में श्री मिर्मल महतो के घर के पास कुआ निर्माण।					
	रतवे पंचायत के ग्राम रतवे में श्री गो० कोशिला देवी के घर के पास कुआ निर्माण।					
	रतवे पंचायत के ग्राम रतवे में श्री खुलाल महतो के घर के पास कुआ निर्माण।					

07	बहगाँव पंचायत में श्री केशी महतो के घर के पास कुआ निर्माण। खाता नं० 01, प्लॉट नं० 554					
08	द० करमा पंचायत के ग्राम बरमसिया में श्री मेवालाल के घर के पास कुआ निर्माण। खाता नं० 23, प्लॉट नं० 2544	माण्डू	660000.00	13200.00	1250.00	01 माह
	द० करमा पंचायत के ग्राम बरमसिया में जालमी महतो के घर के पास कुआ निर्माण। खाता नं० 93, प्लॉट नं० 2142					
	उ. करमा पंचायत के ग्राम पटेलनगर में श्री गुणेश्वर प्रसाद के घर के पास कुआ निर्माण। खाता नं०-06, प्लॉट नं०-2248					
09	उ० करमा पंचायत के ग्राम बरसिया में श्री रामेश्वर महतो के घर के पास कुआ निर्माण।	माण्डू	660000.00	13200.00	1250.00	01 माह
	हॉजायार में श्री सौरभ महतो के घर के पास कुआ निर्माण। खाता नं० 202, प्लॉट नं० 241					
	उतरी करमा पंचायत में श्री कार महतो के घर के पास कुआ निर्माण। खाता नं० 06, प्लॉट नं० 2248					
10	माण्डू उतरी करमा पंचायत में कंदार करमाली के घर के सामने खाता नं० 28 प्लॉट नं० 838 में पेयजल हेतु कुप निर्माण।	माण्डू	220000.00	4400.00	500.00	01 माह
11	जयनगर पंचायत के सरका टोला में गणेश के खेत में पेयजल हेतु कुप निर्माण।	पतरावू	1100000.00	22000.00	2500.00	01 माह
	जयनगर पंचायत के ऊपर टोला में लाली देवी के बारी में पेयजल हेतु कुप निर्माण।					
	जयनगर पंचायत के मोहन मुण्डा के घर के पास पेयजल हेतु कुप निर्माण।					
	जयनगर पंचायत के बबजू अंसारी के घर के पास पेयजल हेतु कुप निर्माण।					
12	बलकुंदर पंचायत के बड़का टोला पुईया भूख एव नीड के नीचे पेयजल हेतु कुप का निर्माण।					
12	ग्राम गोगा में महली उरांव के घर के सामने कुप निर्माण।	पतरावू	220000.00	4400.00	500.00	01 माह
13	पौडमदा पंचायत के ग्राम हरहदकण्डेर में खाता नं० 31 प्लॉट नं० 594 में पेयजल हेतु कुप निर्माण।	दुलमी	1100000.00	22000.00	2500.00	01 माह
	पंचायत सह ग्राम दुलमी में खाता नं० 48 प्लॉट नं० 1614 में पेयजल हेतु कुप निर्माण।					
	सोसा पंचायत के ग्राम कुसुन्या में खाता नं० 10 प्लॉट नं० 133 में पेयजल हेतु कुप निर्माण।					
	पंचायत सह ग्राम सिठ में खाता नं० 24 प्लॉट नं० 1481 में पेयजल हेतु कुप निर्माण।					
	उतरा पंचायत ग्राम गौड़वू में खाता नं० 2/1 प्लॉट नं० 1209 में पेयजल हेतु कुप निर्माण।					
14	घोहन महतो के खेत में पेयजल हेतु कुप निर्माण। (ग्राम खोती)	पतरावू	1100000.00	22000.00	2500.00	01 माह
	सुभाष चन्द्र महतो के पाण्डे बांध खेत में पेयजल हेतु कुप निर्माण। (ग्राम हरिहरपुर)					
	दुपेश्वर के खेत के सामुदायिक भवन में पेयजल हेतु कुप निर्माण। (ग्राम हरिहरपुर)					
	दुखी महतो के खेत में पेयजल हेतु कुप निर्माण। (ग्राम हरिहरपुर)					
	पुलवू महतो के खेत में पेयजल हेतु कुप निर्माण। (ग्राम हरिहरपुर)					
15	साण्डी उर्फ तिलैया पंचायत के कोयरी टोला में महेश प्रसाद के घर के सामने पेयजल हेतु कुप का निर्माण।	माण्डू	1100000.00	22000.00	2500.00	01 माह
	ग्राम मंझला मुन्डा के विजय महतो के जमीन पर पेयजल हेतु कुप का निर्माण।					
	ग्राम बड़का मुन्डा के अशोक महतो के जमीन पर पेयजल हेतु कुप का निर्माण।					
	ग्राम बड़का मुन्डा के मुंशी महतो के जमीन पर पेयजल हेतु कुप का निर्माण।					
16	ग्राम बड़का मुन्डा के सुरेश महतो के जमीन पर पेयजल हेतु कुप का निर्माण।	माण्डू	220000.00	4400.00	500.00	01 माह
17	ग्राम बड़का मुन्डा के ईश्वर दयाल कुसवाहा के जमीन पर पेयजल हेतु कुप का निर्माण।	माण्डू	220000.00	4400.00	500.00	01 माह

पुम्बा के लक्ष्मण महतो के जमीन पर पेयजल हेतु खूप का

	मापक	220000.00	4400.00	500.00	01 मार	
19	ग्राम बारापुर, पंचायत पुरबहीह के उमेश महतो के घर के सामने खाला नं० 05 प्लॉट सं० 563, 564 में पेयजल हेतु खूप का निर्माण।					
	ग्राम ठण्डई पंचायत बरियातु के रंजीत कुमार महतो के घर के सामने खाला नं० 22 प्लॉट सं० 74 में पेयजल हेतु खूप का निर्माण।					
	ग्राम ठण्डई पंचायत बरियातु के कपिलदेव महतो के घर के सामने खाला नं० 10 प्लॉट सं० 556 में पेयजल हेतु खूप का निर्माण।	गोला	1100000.00	22000.00	2500.00	01 मार
	ग्राम ठण्डई पंचायत बरियातु के गौतम महतो के घर के सामने खाला नं० 30 प्लॉट सं० 16 में पेयजल हेतु खूप का निर्माण।					
	ग्राम सरैगातु पंचायत साइम के खाला नं० 35 प्लॉट सं० 2224 में पेयजल हेतु खूप का निर्माण।					

निविदा की शर्तें जिला परिषद, रामगढ़ के सूचनापत्र पर देखी जा सकती हैं।

नोट:-जिला परिषद, रामगढ़ में समूचित श्रेणी में निर्बंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।

जिला अभियंता,
जिला परिषद, रामगढ़।

नियम एवं शर्तें:-

1. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र में अंकित अग्रधन की राशि 2% राष्ट्रीयकृत बचत प्रमाण - पत्र 6/8वीं निर्गम या 3/5 वर्षीय सावधि जमा डाकघर पासबुक, जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के नाम से प्रतिज्ञिप्त (pledged) हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. परिमाण विपत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में ही मान्य होगा। बैंक ड्रॉफ्ट जिला अभियंता जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से ऑरिजेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रामगढ़ में भुगतेश होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी। बैंक ड्रॉफ्ट की वैधता निविदा निर्गत की तिथि से कम से कम तीन माह का होना अनिवार्य है।
3. परिमाण विपत्र की क्रय के समय बैंड चरित्र प्रमाण पत्र एवं निबंधन से संबंधित मूल अभिलेख की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र नहीं दिया जाएगा।
4. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि अपने अर्च पर स्थल का अदलोकन कर दिशति की समीक्षा कर लें एवं संतुष्ट होकर ही निविदा में भाग लें।
5. किसी भी संवेदक को कार्य के आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन माना जाएगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।
6. लघु सनिज नियमावली 1992 के नियम 110 अनुपालन करना होगा। सभी व्यवहृत लघु सनिजों के सानन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कार्य एन0एच0पार्स की उपलब्धता पर ही संपादित कार्यों का भुगतान किया जाएगा।
7. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि अथवाश घोषित होता है, तो अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर निविदा प्राप्त की जाएगी।
8. निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
9. निविदा प्रपत्र में सम्मिहित सभी शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
10. विभाज द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण सामग्री (सीमेंट, लोहा इत्यादि) एवं यांत्रिक उपकरण (मिक्सचर मशीन, भाईड्रेटर इत्यादि) मुठैया नहीं करावी जायेगी।
11. गुण निबंधन प्रतिवेदन के बिना विपत्र का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. निविदा के पूर्व कार्य स्थल एवं सामग्री स्रोतों की जाणकारी सुनिश्चित कर लेंगे।
13. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा आवंटन के अभाव में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
14. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं इसके निमित कोई सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।
15. निविदा के साथ पैज कार्ड, बिक्री कर, स्वच्छता प्रमाण - पत्र, निबंधन पहचान पत्र, चरित्र प्रमाण -पत्र एवं लेबर लाईसेंस इत्यादि पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
16. सामान्यतः इन कार्यों के लिए अर्धदि विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी एवं एकरारनामा अर्धदि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
17. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई न्युनतम मजदुरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
18. निविदा दाताओं को संबंधित कार्य का एक सनबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा, जो एकरारनामा का एक अंग होगा।
19. कार्य आवंटन के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर एफ0डु0 (F2) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
20. एकरारनामा के समय एकरारित राशि की 3% राष्ट्रीय बचत प्रमाण- पत्र 6/8वीं निर्गम 3/5 वर्षीय सावधि जमा डाकघर पासबुक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारण्टी जिसकी न्युनतम वैधता दो वर्ष हो, जो जिला अभियंता, जिला परिषद, रामगढ़ के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त हो लिया जायेगा। शेष 5% चलता लेखा विपत्र में काटा जायेगा।
21. प्राक्कलन की राशि घट बढ़ सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि परिवर्तन हो सकता है।
22. संवेदक द्वारा निविदा राशि 10% से कम दर पर दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा।
23. विशेष जाणकारी के लिए कार्यालय अर्धदि में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क करें या सूचना पत्र देखें।
24. UCAN पंजीयन रसीद की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
25. प्रत्येक परिमाण विपत्र क्रय हेतु अलग - अलग मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट का होना अनिवार्य है।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, रामगढ़।

29/05/15

झापांक :-.../224.../ जि०अभि०,

रामगढ़,दिनांक :- 22/5/2015

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अोध है कि उक्त निविदा आमंत्रण सूचना को www.ramgarh.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, रामगढ़।